

2021/283

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली कैम्प लुंदाडा
पीठारीन अधिकारी: श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस

प्रार्थी
विजयपाल सिंह पुत्र
लक्ष्मणराम जाति मीणा
साकिन लुंदाडा तहसील
बाली

बनाम

अप्रार्थी
तहसीलदार, बाली

प्रकरण संख्या :- 25/2021
बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक : 01.11.2021

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण कैम्प में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नकल दी गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब मय रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लुंदाडा के खसरा न. 502, 503, 504, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533 कुल खसरा 15 रकबा 9.4700 हे. भूमि स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2078 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम विक्रम पुत्र लक्ष्मणराम दर्ज हैं तथा अतः रेकर्ड को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम विजयपाल सिंह पुत्र लक्ष्मणराम करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब मय पटवारी रिपोर्ट भूमिधारी की ओर से पेश किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित त्रुटी को स्वीकार किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2078 में दर्ज बतौर सह खातेदार संख्या 29 पर प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम विक्रम पुत्र लक्ष्मणराम दर्ज हैं, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम विजयपाल सिंह पुत्र लक्ष्मणराम है। जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, लुंदाडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सही नाम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने की अनुशंसा की हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम लुंदाडा के खसरा न. 502, 503, 504, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533 कुल खसरा 15 रकबा 9.4700 हे. भूमि में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम विक्रम पुत्र लक्ष्मणराम को दुरुस्त करते हुए प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम विजयपाल सिंह पुत्र लक्ष्मणराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। अप्रार्थी भूमिधारी आदेश की पालना तुरन्त कर राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली फैंसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।



आदेश आज दिनांक 01.11.2021 मजमें कैम्प लुंदाडा में पक्षकारों को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपकैम्प अधिकारी, लुंदाडा
बाली (जिला-पाली) राज.

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपकैम्प अधिकारी, लुंदाडा
बाली (जिला-पाली) राज.